न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 149–पीबीआर/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–11–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 189/अपील/2007–08

अमरसिंह पिता गेंदालाल सुतार
निवासी ग्राम तुमड़िया तहसील ब्यावरा,
जिला राजगढ़ म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. प्रेमसिंह पिता अमरसिंह यादव
2. नारायण सिंह पिता अमरसिंह यादव
3. मांगीबाई बेवा सीताराम यादव
4. मांगीलाल पिता अमरसिंह यादव
   सभी निवासी ग्राम तुमड़िया तहसील ब्यावरा,
   जिला राजगढ़ म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक आवेदक
श्री आर0एन0 गौर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ इस प्रकरण से संबंधित मूल फाईल एवं अभिलेख गुम हो चुका है तथा प्रकरण में सुनवाई दास्त फाईल पर की गई है। अतः प्रकरण का निराकरण उपलब्ध दस्तावेजों एवं आदेशों की प्रति के आधार पर किया जा रहा है।

3/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त मलावर के न्यायालय में संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम तुमड़िया स्थित भूमि खसरानम्बर 26/2 रकबा 1.012 है0 उनके संयुक्त खाते की पैतृक भूमि होकर भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है, जो वर्तमान में आवेदक अमरसिंह पिता गैन्दा सुतार के नाम पर सर्वे कमांक 26/2 रकबा 0.506 है0 दर्ज हो गयी है जबकि भूमि पर उत्तरवादीगण ही काबिज हैं। इस प्रकार सर्वे कमांक 26/2 रकबा 1.012 का खाता पूर्ववानुसार इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रविष्टि संशोधित की जाए। नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 14/अ–6–अ/06–07 में पारित आदेश दिनांक 29–10–2007 द्वारा सर्वे कमांक 26/2 रकबा 1.012 है0 पर उत्तरवादीगण का नाम यथावत रखने के आदेश पारित किए। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 2/अ–6/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 2–2–2008 द्वारा अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त भोपाल संभाग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 24–11–2009 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध ही यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पत्रिका में उपलब्ध रिकार्ड का गहन अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा जिन बिन्दुओ की जांच किये बिना ही रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश पारित किये था उन बिन्दुओं की ~~जांच~~ कोई जांच तहसील न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। यह भी तर्क दिया कि इस प्रकरण में धारा 115 लागू नहीं होती क्योंकि 115 के अंतर्गत स्वयं

सक्षम अधिकारी किसी राजस्व रिकार्ड में की गई गलती को सुधार कर सकता है। संहिता की धारा 116 के प्रावधान भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते है क्योंकि कोई भी पक्षकार राजस्व रिकार्ड में की गई गलती को एक वर्ष की अवधि में सुधारने का आवेदन दे सकता है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक को सन् 1966 में सर्वे कमांक 26/1/1 से 4 बीघा एवं 26/2 से ढाई बीघा का पट्टा तहसीलदार ब्यावरा द्वारा दिनांक 25–6–66 को दिया गया था। अनावेदकगण को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुई इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक का नाम अमरसिंह है तथा अनावेदक के पिता का नाम अमरसिंह है जिसका लाभ उठाकर अपने नाम जमीन कराना चाहता है जबकि राजस्व रिकार्ड में जाति का स्पष्ट उल्लेख है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

5/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि वर्ष 2001 में सर्वे कमांक 26/2 का मूल खाता अनावेदक के पिता अमरसिंह यादव के नाम पर था तथा आवेदक का नाम भी अमरसिंह है परन्तु उसकी जाति सुतार है। पूर्व पटवारी द्वारा बिना कोई प्रकरण दर्ज किये, बिना किसी आदेश के सीधे ही खसरे में आवेदक का नाम चढ़ा दिया। जिसकी जानकारी होने पर आवेदन प्रस्तुत किया गया। यह भी तर्क दिया कि अनावेदकगण ने उनको भूमि कैसे प्राप्त हुई इसके पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे इसी कारण तहसील न्यायालय ने विधिवत जांच उपरांत धारा 115, 116 के तहत पूर्व में की गई त्रुटि को सुधारा है जिसको दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा भी सही पाया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया कि उनके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 26/2 पर उनके स्थान पर आवेदक का

नाम चढ गया है अतः त्रुटि सुधार किया जाये। नायब तहसीलदार ने जाचं में यह पाया कि आवेदक ने सर्वे कमांक 26/2 का स्वयं के नाम पर भूमिस्वामी का पट्टा दिनांक 25–6–66 को दिया जाना दर्शाया है परन्तु यह किस प्रकरण कमांक एवं आदेश से दिया है वह अंकित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा पट्टा 1966 में दिया जाना बतलाया गया जबकि तहसील न्यायालय में आवेदक ने शपथपत्र में अपनी उम्र 55 वर्ष बताई है। इस प्रकार शपथ पत्र में दर्शायी उम्र के अनुसार आवेदक की उम्र पट्टा प्रदान किये जाते समय 12 वर्ष की होती है तथा नाबालिग को पट्टा प्रदाय नहीं किया जाता है। जबकि तहसील न्यायालय अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अनावेदकों का स्वत्व सही पाया। आवेदक तहसील न्यायालय में यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा कि सर्वे नम्बर 26/2 की भूमि रकबा 0.506 हे0 उसके नाम पर कैसे आई तथा अनावेदक के पिता के नाम पर पूर्व से अंकित भूमि कम कर उस पर आवेदक का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया। अतः नायब तहसीलदार ने अनावेदकों के नाम भूमि पर पूर्ववत नाम अंकित करने के आदेश दिया। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्ण जांच एवं विवेचना उपरान्त किया जाना प्रकट होता है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा भी विधिसम्मत पाया है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2009 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर